रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-21012026-269490
CG-MH-E-21012026-269490

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 2026/पौष 30, 1947
No. 53] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 2026/PAUSHA 30, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 20 जनवरी, 2026

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

[असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू)

और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (संशोधन) विनियम, 2026

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2026/296.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 की उप-धारा (1) के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (संशोधन) विनियम, 2026 कहा जा सकेगा।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021 में,-

(1) विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (छछ) के बाद और खंड (जज) से पहले, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
"(छछक) "छोटे निवेशक (जो व्यक्ति हो)" (रीटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर) का अर्थ है - वह निवेशक जो दो लाख रुपये तक के मूल्य की डैट सिक्यूरिटीज़ (ऋण प्रतिभूतियों) के लिए आवेदन करता है या बोली लगाता है;"

(2) विनियम 31 में, निम्नलिखित परंतुक जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-
"परंतु यह कि इस विनियम (रेग्यूलेशन) में बताई गई कोई भी बात इश्युअर (निर्गमकर्ता) को वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, सेवारत तथा सेवानिवृत्त सेना के जवानों, सेना के मृत जवानों की पत्नी या उनके पति, छोटे निवेशकों (जो व्यक्ति हों) या किसी दूसरे वर्ग के निवेशकों (जिनके बारे में बोर्ड समय-समय पर बताए) को प्रोत्साहन (इनसेंटिव) [जैसे कि अतिरिक्त ब्याज देना या इश्यू प्राइस से कम भाव पर सिक्यूरिटीज़ खरीदने का विकल्प देना] की पेशकश करने से नहीं रोकेगी:
परंतु यह और कि यह प्रोत्साहन (इनसेंटिव) केवल उसे दिया जा सकेगा जिसे डैट सिक्यूरिटीज़ पहली बार अलॉट (आबंटित) की गई हों, किंतु यदि अलॉटमेंट के बाद डैट सिक्यूरिटीज़ एक बार जब ट्रांसफर या ट्रांसमिट हो जाएँ तो फिर प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकेगा।"

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./627/2025-26]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/39, द्वारा 9 अगस्त, 2021 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021 तत्पश्चात्:
   (i) 11 अप्रैल, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/77, द्वारा
   (ii) 9 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/102, द्वारा
   (iii) 2 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/119, द्वारा
   (iv) 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा
   (v) 4 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/137, द्वारा

(vi) 6 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/135, द्वारा

(vii) 18 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शिकायत निवारण व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/146, द्वारा

(viii) 10 जुलाई, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (संशोधन) विनियम, 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/190, द्वारा

(ix) 18 सितम्बर, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/205, द्वारा

(x) 11 दिसम्बर, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/217, द्वारा

(xi) 28 अक्तूबर, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (संशोधन) विनियम, 2025, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/268, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 20th January, 2026

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF NON-CONVERTIBLE SECURITIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2026

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2026/296.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021, namely: –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Amendment) Regulations, 2026.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021, ─

(1) in regulation 2, sub-regulation (1), after the clause (gg) and before the clause (hh), the following clause shall be inserted, namely, -

"(gga) "retail individual investor" means an individual investor who applies or bids for debt securities for a value of not more than two lakhs rupees;"

(2) in regulation 31, the following proviso shall be inserted, namely, -

"Provided that nothing contained in this regulation shall preclude the issuer from offering an incentive in the form of additional interest or a discount to the issue price to senior citizens, women, serving and retired defence personnel, widows and widowers of defence personnel, retail individual investors or any other category of investors as may be specified by the Board from time to time:

Provided further that such incentive shall be available only to the initial allottee but not in case the debt securities are transferred/ transmitted post allotment.”

BABITHA RAYUDU, EX. Director

[ADVT.-III/4/Exty./627/2025-26]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021 were published in the Gazette of India on August 9, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/39.
2. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021, were subsequently amended on:

(i) April 11, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Amendment) Regulations, 2022 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/77.

(ii) November 9, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Second) (Amendment) Regulations, 2022 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/102.

(iii) February 2, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/119.

(iv) February 7, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.

(v) July 4, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD–NRO/GN/2023/137.

(vi) July 6, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/135.

(vii) August 18, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Facilitation of Grievance Redressal Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/146.

(viii) July 10, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Amendment) Regulations, 2024 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/190.

(ix) September 18, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Second Amendment) Regulations, 2024 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/205.

(x) December 11, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Third Amendment) Regulations, 2024 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/217.

(xi) October 28, 2025 by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Amendment) Regulations, 2025 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/268.

***

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.01.21 16:51:03 +05'30'